न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 39 / 2023 (GCMS C.N. 2023 / 329)

आवन्टन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

उनवान

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार बिजौलिया बनाम	1. कस्तूरी पिता चूना रेगर निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलिया 2. मूली पिता चूना रेगर निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलिया 3. डूंगा पिता चूना रेगर निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलिया
–प्रार्थी	–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –

1. **राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से**
2. **श्री आर0सी सारस्वत अधिवक्ता, विपक्षी–3 की ओर से**

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 6 / 04 / 2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्ध विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षीगण 1 से 3 निवासी *पचानपुरा तहसील बिजौलिया* के संबंध में आवंटी को ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांद जी की खेडी की **आ.न. 760 / 488 रकबा 0.8094 भूमि किस्म बारानी–III** दिनांक **31.10.1977** को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गई। आवंटी की मृत्यु हो चुकी है एवं अप्रार्थी गैर खातेदार के विधिक वारिसान है। आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कर बिलानाम सरकार दर्ज करने का आदेश फरमावें। मौका पर्चा, जमाबंदी,खसरा गिरदावरी, आवंटन आदेश की प्रति संलग्न है।

प्रार्थना पत्र पंजीबंध किया जाकर, विपक्षीगण को नोटिस जारी करे गए। प्रकरण में विपक्षी 1 व 2 लगातार अनुपस्थित रहने से उनका जवाब व बहस बंद किया जाता है। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

दौरान बहस विपक्षी अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त आंवटन निरस्तीकरण का प्रार्थनापत्र तहसीलदार बिजौलियां द्वारा गलत तथ्यों पर पेश किया गया है। आवंटन सही है, कब्जा अप्रार्थीगण का ही है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र व विपक्षी के दौराने बहस दलील का अवलोकन किया गया। राजकीय अधिवक्ता ने प्रा0पत्र व संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए आवंटी व उनके विधिक वारिसान अप्रार्थीगण को अनियमित तरीके से किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जाकर भूमि पूर्ववत बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड कराया जाने हेतु निवेदन किया गया। बहस पर मनन व दस्तावेजों के भलीभांति परीक्षण व विवेचन उपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत भूमि कृषि कार्यो हेतु आवंटन पश्चात् उपयोग में नहीं लाई जा रही है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार मृतक गैर खातेदार व उसके गैर खातेदारों का प्रश्नगत भूमि एवं मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। उक्त

6-4-26

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आराजी बांध के डूब क्षेत्र में आती है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) **स्वीकार** योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का **स्वीकार** कर आवंटी(फौत) व उसके विधिक वारिसान विपक्षीगण के नाम ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांद जी की खेडी की **आ.न. 760/488 रकबा 0.8094 भूमि किस्म बारानी–III** भूमि आवंटन को **खारिज** किया जाता हैं एवं तहसीलदार **बिजौलिया** को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आ०न० की भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 6/04/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

6-4.26

(रणजीत सिंह)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा